न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रायपुर जिला भीलवाड़ा
पीठासीन अधिकारीः—श्री सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः—70 / 2018 (2018 / 00166) वाद पत्र

अनवान

1. पन्ना लाल पिता नानुराम तेली निवासी खाखरमाला तहसील रायपुर जिला भीलवाडा

वादी

बनाम

1. हीरालाल पिता जयराम गुर्जर निवासी थोरियाखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाडा

प्रतिवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 53, 188 राज0 टी0 एक्ट

1—जाकिर हुसेन

अधिवक्ता वादी

निर्णय

दिनांक 24.12.2019

पत्रावली आज पेश हुई। प्रकरण का सक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि इस न्यायालय के पुर्व आदेश दिनांक 07.03.2019 के द्वारा वादी का वाद स्वीकार किया जाकर ग्राम खाखरमाला पटवार हल्का खाखरमाला तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी मे वादी एवं प्रतिवादीगण सं. 1 के संयुक्त खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 8 रकबा 0.05 है. आराजी संख्या 558 रकबा 2.83 है. कुल किता 2 कुल रकबा 2.88 है. भूमि स्थित है। जिसमे वादी का 2/3 हिस्से का बाई मीटस एण्ड बोड्स के आधार पर स्वतन्त्र राजस्व खाता रवेन्यु रिकार्ड में खाले जाने हेतु प्राथमिक डिक्री जारी की गई एव तहसीलदार रायपुर से विभाजन प्रस्ताव तैयार कर पेश करने का आदेश दिया गया था।

तहसीलदार रायपुर द्वारा दिनांक 23.12.2019 को रिपोर्ट पेश कर अवगत कराया कि वादी द्वारा विचाराधीन प्रकरण में अपनी संयुक्त खातेदारी आराजी खसरा नम्बर 8 रकबा 0.05 है. व खसरा नम्बर 558 रकबा 2.83 है. भूमि कुल किता 2 कुल रकबा 2.88 है मे से वादी का अपना सम्पूर्ण 2/3 हिस्सा जरिये रजिस्डर्ड विक्रय पत्र से शायरी बाई पत्नि दुदाराम गुर्जर निवासी गोविन्दपुरा गलवा को दिनांक 18.04.2019 विक्रय कर दी गई और वादी मौके पर उपस्थित नही है। रिपोर्ट शामिल पत्रावली की गई।

तहसीलदार रायपुर से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार वादी वर्तमान में खातेदार कृषक नही है। वादी अपना खातेदारी अधिकार समाप्त कर चुका है ऐसी स्थिति में विचाराधीन वाद मे अन्तिम रूप से स्वीकार योग्य नही होने से वाद खारिज किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः तहसीलदार रायपुर से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार वादी वर्तमान में खातेदार कृषक नही है। वादी अपना खातेदारी अधिकार समाप्त कर चुका है ऐसी स्थिति में विचाराधीन वाद मे अन्तिम रूप से स्वीकार योग्य नही होने से वाद खारिज किया जाता है। इसी अनुसार डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 24.12.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

२५.१२.१९

(सुन्दरलाल बम्बोडा)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर (भीलवाडा)

मूल वाद मे डिक्री

(आदेश 20 रूल्स 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रायपुर जिला भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारीः–श्री सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः–70 / 2018 (2018 / 00166) वाद पत्र

अनवान

1. पन्ना लाल पिता नानुराम तेली निवासी खाखरमाला तहसील रायपुर जिला भीलवाडा

वादी

बनाम

1. हीरालाल पिता जयराम गुर्जर निवासी थोरियाखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाडा

प्रतिवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 53 रा0 टि0 एक्ट

यह मुकदमा वास्त इन फिसान कतई रूबरू हमारे बहाजरी तहसीलदार रायपुर से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार वादी वर्तमान में खातेदार कृषक नही है। वादी अपना खातेदारी अधिकार समाप्त कर चुका है ऐसी स्थिति में विचाराधीन वाद मे अन्तिम रूप से स्वीकार योग्य नही होने से वाद खारिज किया जाता है। इसी अनुसार डिक्री जारी हो।

वाद में डिक्री आज दिनांक 24.12.2019 को न्यायालय मोहर एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी की गई।

24.12.19

(सुन्दरलाल बम्बोडा)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2019.12.28 12:43:14 IST
Reason: SelfAttested
Location: